

सरवर्क
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

किरम मुकदमा	तारीख दायर	मुकदमे का नम्बर	नाम गांव प तहसील	तारीख पौराता	तादाय यीता	नम्बर दाखिल मुआफिक खाना
प्रार्थनापत्र	4/10/25	1028 461 2025	औरवी	4/10/25 स्वीकार		

श्री नारायण सिंह अस्थालिखनाम : श्री वाल्म्याक लककार
वावठा

वादी/प्रार्थी

प्रतिवादी/विपक्षी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा **136 LR**
सम्बन्धित वाद/प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण आदि	पत्रों की संख्या	क्र.सं.	विवरण आदि	पत्रों की संख्या
1	पार्ट A				4/10/25
2	पार्ट B				
3	पार्ट C				
4	पार्ट D				

श्री रघु श्री

पकील वादी/प्रार्थी

पकील प्रतिवादी/विपक्षी

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एन.आर. एक्ट 1956 की धारा 136
अनुदान श्री नारायण सिंह पिता/पति बैरु सिंह
बनाम
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुदान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी नारायण सिंह
पिता बैरु सिंह नि ओढ़ी का/के/हूँ/है।
मेरे/हमारे प.ह. ओढ़ी के राजस्व ग्राम ओढ़ी में खाता संख्या
1-3 वि.ता 01 रकबा 0.50 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें
मेरी/हमारी जाति/नाम नारायण दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप
में नारायण सिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम नारायण के बजाय नारायण सिंह
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 03/10/2015

नारायण सिंह
हस्ताक्षर
प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का ओढ़ी
महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नारायण सिंह पिता बैरु सिंह
नि ओढ़ी राजस्व ग्राम ओढ़ी प.ह. ओढ़ी की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में नारायण सिंह दर्ज करवाना
चाहता है/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के
हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना
उचित है।

दिए
हस्ताक्षर पटवारी

दिए
हस्ताक्षर भू.अ.नि.

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 / /

दिनांक:- / /20

प्रेषित.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नारायणसिंह पिता शेरू सिंह नि. ओढी प.ह. ओढी के राजस्व ग्राम ओढी में जमावन्दी संवत् १९३६ की खाता संख्या 173 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम नारायणसिंह किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम नारायणसिंह का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/461

दिनांक:-4/10/2025

निमित्त.

पटवार हल्का ओढी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री नारायणसिंह पिता शेरू सिंह राजस्व ग्राम ओढी प.ह. ओढी की खाता संख्या 173 में जाति/नाम नारायण दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जमा व पहचान पत्र व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नारायणसिंह पिता शेरू सिंह जाति/नाम नारायणसिंह एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. ओढी राजस्व रिकार्ड उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी


चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA




नारायण सिंह
Narayan Singh
जन्म तिथि/DOB: 13/04/1965
पुरुष / MALE



7381 7769 7723

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पता:
S/O भेरु सिंह, भील
मोहल्ला, ओछारी,
चित्तौड़गढ़,
राजस्थान - 312001

Address:
S/O Bheru Singh, bhl mohalla,
Ochhari, Chittorgarh,
Rajasthan - 312001

7381 7769 7723

MEERA AADHAAR, MERI PEHACHAN